बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

सं०सं०–07 / उ०नि०– वित्तिय (ACP/MACP)–11–02 / 2021

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना सं०–03 / एम० 2–5 वे०पु०–22 / 99, 4685 वि०(2), दिनांक 25.06.2003 (वृत्ति उन्नयन योजना), वित्त विभाग के संकल्प संख्या–7566 दिनांक 14.07.2010 (रूपान्तरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना, 2010) तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र एवं अन्य सुसंगत नियम के आलोक में दिनांक–22.06.2026 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर उद्योग निदेशालय / जिला उद्योग केन्द्रों में पदस्थापित प्रधान लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक, कुशल शिल्पी एवं कार्यालय परिचारी तथा उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के कार्यरत / सेवानिवृत कर्मी को ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० की प्रभावी होने की तिथि 09.08.99 / 01.01.2009 अथवा 12 / 24 एवं 10 वर्ष / 20 वर्ष / 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से प्रथम / द्वितीय / तृतीय ए०सी०पी० अथवा प्रथम / द्वितीय / तृतीय एम०ए०सी०पी० वर्णित कर्मचारी के नाम के सामने स्तम्भ–04, 05 एवं 06 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम / पदनाम एवं पदस्थापन	तत्कालीन वेतन स्तर	प्रथम एम०ए०सी०पी०	द्वितीय एम०ए०सी०पी०	तृतीय एम०ए०सी०पी०	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री राजशेखर कुमार, प्रधान लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, बाँका।	Level-7	–	–	दिनांक– 17.06.2026 से तृतीय MACP लेवल–08 में देय।	
2.	श्रीमती नईयर बानो, सेवानिवृत उच्चवर्गीय लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर।	Level-4	–	दिनांक– 10.07.2024 से द्वितीय MACP लेवल–05 में देय।	–	
3.	श्री सत्येन्द्र कुमार, प्रधान लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, गयाजी।	Level-5	–	–	दिनांक– 01.08.2021 से तृतीय MACP लेवल–06 में देय।	
4.	श्री ओम प्रकाश कुमार, प्रधान लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, तत्कालीन पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) सम्प्रति जि०उ०के०, नवादा।	Level-4	–	–	दिनांक– 17.09.2023 से तृतीय MACP लेवल–05 में देय।	
5.	श्री उपेन्द्र राम, सेवानिवृत उच्चवर्गीय लिपिक जिला उद्योग केन्द्र, गयाजी।	Level-4	दिनांक– 09.08.1999 से प्रथम ACP 5000-8000 में देय।	दिनांक– 01.01.2009 से द्वितीय MACP, ग्रेड पे–4600 में देय।	दिनांक– 11.04.2016 से तृतीय MACP लेवल–08 में देय।	
6.	श्री अजय कुमार राय, उच्चवर्गीय लिपिक। उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	Level-4	दिनांक– 01.01.2009 से प्रथम MACP ग्रेड पे–2800 में देय।	दिनांक– 21.07.2018 से द्वितीय MACP लेवल–06 में देय।	–	
7.	श्री मनीष कुमार आर्य, उच्चवर्गीय लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी।	Level-3	दिनांक–01.01.09 से प्रथम MACP ग्रेड पे०–2400 में देय।	दिनांक– 19.08.2018 से द्वितीय MACP लेवल–05 में देय।	–	
8.	श्री रघुवीर प्रसाद, उच्चवर्गीय लिपिक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	Level-4	–	दिनांक– 24.06.2016 से द्वितीय MACP लेवल–05 में देय।	दिनांक– 24.06.2026 से तृतीय MACP लेवल–06 में देय।	

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	तत्कालीन वेतन स्तर	प्रथम एम०ए०सी०पी०	द्वितीय एम०ए०सी०पी०	तृतीय एम०ए०सी०पी०	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
9.	श्री पुतुल कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	Level-2	दिनांक– 15.10.2017 से प्रथम MACP लेवल–03 में देय।	–	–	
10.	श्री राज कुमार, सेवानिवृत उच्चवर्गीय लिपिक जिला उद्योग केन्द्र, नवादा।	Level-2	दिनांक– 28.02.2006 से प्रथम ACP ग्रेड पे–2400 में देय।	दिनांक– 28.02.2014 से द्वितीय MACP ग्रेड पे–2800 में देय।	दिनांक– 28.02.2024 से तृतीय MACP लेवल–06 में देय।	
11.	श्री सुनील कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक जिला उद्योग केन्द्र, अरवल।	Level-3	–	दिनांक– 27.08.2013 से द्वितीय MACP लेवल–04 में देय।	दिनांक– 27.08.2023 से तृतीय MACP लेवल–05 में देय।	
12.	श्री कृपा शंकर शर्मा, निम्नवर्गीय लिपिक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	Level-5	–	–	दिनांक– 14.06.2026 से तृतीय MACP लेवल–06 में देय।	
13.	श्री उपेन्द्र नाथ राम, उच्चवर्गीय लिपिक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	Level-4	–	दिनांक– 12.03.2023 से द्वितीय MACP लेवल–05 में देय।	–	
14.	श्री तेज नारायण शर्मा, सेवानिवृत कुशल शिल्पी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनसंधान संस्थान, पटना	Level-4	–	–	दिनांक–13.04.12 से तृतीय MACP लेवल–05 में देय।	
15.	श्री अनिल कुमार सिन्हा, सेवानिवृत निम्नवर्गीय लिपिक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	Level-4	–	दिनांक– 26.07.2022 से द्वितीय MACP लेवल–05 में देय।	–	
16.	श्री कृष्ण कुमार, कार्यालय परिचारी, तत्कालीन जिला उद्योग केन्द्र, अररिया सम्प्रति जि0उ0के0, मोतिहारी।	Level-1	दिनांक–15.12.22 से प्रथम MACP लेवल–02 में देय।	–	–	
17.	श्रीमती रिंकू कुमारी, कार्यालय परिचारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनसंधान संस्थान, पटना	Level-1	दिनांक–20.03.23 से प्रथम MACP लेवल–02 में देय।	–	–	

2. किसी भी कर्मी के सम्बन्ध में उल्लिखित आँकड़ों में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं उनसे भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

3. सभी कर्मियों के मामले में मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) ए (1) के अधीन वेतन निर्धारण किया जायेगा।

4. पूर्व में निर्गत आदेश संख्या–2248 दिनांक–25.10.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह०/–
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— /पटना, दिनांक
सं०सं०—07/उ0नि0— विविध (ACP/MACP)—11—02/2021

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— /पटना, दिनांक
सं०सं०—07/उ0नि0— विविध (ACP/MACP)—11—02/2021

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 3649 /पटना, दिनांक 06/10/26
सं०सं०—07/उ0नि0— विविध (ACP/MACP)—11—02/2021

प्रतिलिपिः— निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना/उप सचिव (स्था०), उद्योग विभाग, बिहार पटना/उप सचिव, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा—10), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक, MSME निदेशालय, बिहार, पटना/प्रभारी महाप्रबंधक, संबंधित जिला उद्योग केन्द्र/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार पटना एवं सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6.10.26
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।